



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ 1944 (श10)

(सं0 पटना 136) पटना, मंगलवार, 14 फरवरी, 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 फरवरी 2023

एस० ओ० 107, दिनांक 14 फरवरी, 2023 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 26 दिसम्बर, 2022 से प्रभावी हुये माने जायेंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 8 में, -

- (i) उप-नियम (1) में, "मोबाइल नंबर, ई-मेल पता," शब्दों और अक्षरों, का लोप किया जाएगा;
- (ii) उप-नियम (2) में, खंड (क) में, "प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटा बेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "और स्थायी खाता संख्या से जुड़े मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेजे गए

पृथक् वन-टाइम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (iii) उप-नियम (2) में, खंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;
- (iv) उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा उप-नियम (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन के बाद, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है और जो कि सामान्य पोर्टल पर, डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, पहचाना जाता है, बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और आवेदक की तस्वीर ली जाएगी, जहां आवेदक एक व्यक्ति है या जहां आवेदक एक व्यक्ति नहीं है, आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की जो धारा 25 की उप-धारा (6 ग) के अधीन अधिसूचित है, इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों में से एक पर प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ, और इस उप-नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन को पूर्ण समझा जाएगा।";

- (v) उप-नियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4ख) केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनमें उप-नियम (4क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।";

- (vi) उप-नियम (5) में, "उप-नियम (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उप-नियम (4क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमावली के नियम 9 में, -

- (i) उप-नियम (1) के परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या";

- (ii) उप-नियम (2) के, परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का

वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या”।

4. उक्त नियमावली के, नियम 12 में, उप-नियम (3) में, "कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है" शब्दों के पश्चात्, "या एक व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर जिसे उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

5. 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी उक्त नियमावली के नियम 37 में उप-नियम (1) में, -

- (i) "ऐसी प्रदाय के मूल्य का" शब्दों के पश्चात्, "चाहे पूर्ण रूप से या भागतः" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) "भुगतान करेगा" शब्दों के पश्चात्, "या उत्क्रम" शब्दों को अंतःस्थापित किए जाएगा;
- (iii) "ऐसी प्रदाय के संबंध में" शब्दों के पश्चात्, "प्रदायकर्ता को भुगतान ना की गई रकम के अनुपात में" अक्षरों और शब्दों को अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमावली में, नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"37क. प्रदायकर्ता द्वारा कर के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी और उसकी पुनः उपलब्धता.- जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में, जिसका विवरण प्रदायकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए जावक प्रदाय के विवरण में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् सितंबर के 30 वें दिन तक ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा उक्त कर अवधि के जावक प्रदाय के विवरण के अनुरूप प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय की कथित राशि को, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् नवंबर के 30 वें दिन या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर-3ख में रिटर्न दाखिल करते समय, वापस किया जाएगा:

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय की उक्त राशि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में 30 नवंबर को या उससे पहले ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् वापस नहीं की जाती है, जिसके दौरान इस तरह के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, ऐसी राशि उक्त व्यक्ति द्वारा धारा 50 के अधीन उस पर ब्याज सहित देय होगी।

परन्तु यह और कि जहां उक्त प्रदायकर्ता पश्चात् में उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके बाद की कर अवधि के लिए प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में इस तरह के प्रत्यय की राशि का पुनः लाभ उठा सकता है।" .

7. उक्त नियमावली के नियम 46 के खंड (च) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां कोई कर योग्य सेवा किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तकर्ता को आपूर्ति की जाती है, जो अरजिस्ट्रीकृत है, ऐसे प्रदाय के मूल्य के बावजूद, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गये कर बीजक में प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा।".

8. उक्त नियमावली के, नियम 46क में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परन्तु उक्त एकल "प्रदाय का बीजक-सह-बिल" में नियम 46 या नियम 54, जैसा भी मामला हो, और नियम 49 के अधीन निर्दिष्ट विशिष्टियां शामिल होगी।";

9. उक्त नियमावली के नियम 59 के उपनियम (6) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे कर अवधि के संबंध में नियम 88ग के उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन सामान्य पोर्टल पर एक सूचना जारी की गई है, को धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के जावक आपूर्ति के ब्यौरे, पश्चातवर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या, जब तक कि उसने या तो उक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं की हो या किसी असंदत्त राशि के कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रस्तुत न किया हो जो नियम 88ग के उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित है।"

10. उक्त नियमावली के नियम 87 के उपनियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां बैंक सामान्य पोर्टल पर चालान पहचान संख्या के विवरण को संप्रेषित करने में विफल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई-स्कॉल के आधार पर अपडेट किया जा सकता है जहां उक्त ई-स्कॉल की कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उत्पन्न चालान के ब्यौरे के साथ अनुरूपता है।

11. उक्त नियमावली में, नियम 88ख के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"88 ग. जावक प्रदायों के ब्यौरों और विवरणी में रिपोर्ट किए गए दायित्व में अंतर के संबंध की रीति.—जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय कर, उक्त कर अवधि के संबंध में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए में, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरों के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उस अवधि के लिए विवरणी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय कर की रकम से अधिक है, ऐसी राशि या ऐसे प्रतिशत से, जो की परिषद् द्वारा

अनुशंसित किया जाए, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में इस तरह के अंतर के बारे में सूचित किया जाएगा और उक्त अंतर को उजागर करते हुए ऐसी सूचना की एक प्रति, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर संशोधित किए गए, उसके ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी और उसे निदेशित किया जाएगा कि या तो -

- (क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, अंतर कर देयता का संदाय करें, या
 - (ख) सामान्य पोर्टल पर देय कर में पूर्वोक्त अंतर का स्पष्टीकरण करें, सात दिनों की अवधि के भीतर।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस उप-नियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो -
- (क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से करें और उसके विवरण को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-1ख के भाग ख में प्रस्तुत करें; या
 - (ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग ख में असंदत्त कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को शामिल करते हुए, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, यदि कोई हो, एक उत्तर प्रस्तुत करें, सात दिनों की अवधि के भीतर।
- (3) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस उप-नियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर असंदत्त रहती है और जहां कोई स्पष्टीकरण या कारण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां स्पष्टीकरण या कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।।

12. उक्त नियमावली के नियम 89 के उपनियम (2) में,-

- (i) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -
 "(टक) एक विवरण जिसमें बीजक का विवरण शामिल है, अर्थात् संख्या, तारीख, मूल्य, भुगतान किया गया कर और भुगतान का विवरण, जिसके संबंध में धनवापसी का दावा किया जा रहा है, ऐसे बीजकों की प्रति, प्रदायकर्ता को इस तरह के भुगतान का प्रमाण, समझौते या रजिस्ट्रीकृत समझौते या अनुबंध की प्रति, जो भी लागू हो, सेवा की प्रदाय के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ दर्ज किया गया, प्रदायकर्ता द्वारा सेवा की आपूर्ति के लिए समझौते या अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने के लिए जारी किया गया पत्र, प्रदायकर्ता से प्राप्त भुगतान का विवरण, इस तरह के समझौते को

रद्द करने या समाप्त करने के प्रमाण के साथ, एक मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिए अनुबंध या अनुबंध को रद्द या समाप्त कर दिया गया है;

(टख) आपूर्तिकर्ता द्वारा इस आशय के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र कि उसने बीजक के संबंध में कर का भुगतान किया है, जिस पर आवेदक द्वारा धनवापसी का दावा किया जा रहा है; कि उसने क्रेडिट नोट जारी करके इन बीजकों में शामिल कर राशि को अपनी कर देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं किया है; और यह भी, कि उसने इन बीजकों के संबंध में शामिल कर की राशि की वापसी दावा नहीं किया है और ना ही करेगा, ऐसे मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिए करार या संविदा रद्द कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है;";

(ii) खंड (ड) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परन्तुक यह और कि उन मामलों में जहां ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया गया है जिसने कर भर वहाँ किया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।”.

13. उक्त नियमावली के नियम 108 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु यह कि जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, वहां अपीलार्थी, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा :

परंतु जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।”.

14. उक्त नियमावली के नियम 109 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"109 अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन.-

- (1) धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को एक आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, फाइल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (2) जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु यह और कि जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।"

15. उक्त नियमावली में, नियम 109ख के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"109ग अपील वापस लेना - अपीलार्थी, धारा 107 की उप-धारा (11) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या उक्त उप-धारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के संबंध में फाइल की गई किसी भी अपील को प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03W में एक आवेदन फाइल करके उक्त अपील को वापस ले सकेगा :

परंतु जहां प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपीलीय प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी और

अपील को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन को फाइल करने के सात दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा:

परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में फाइल की गई कोई भी नई अपील धारा 107 की यथा स्थिति, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल की जाएगी।

16. उक्त नियमावली के नियम 138 के, उपनियम (14) में उपाबंध में, सारणी के स्तम्भ (2) में, क्र.सं. 5, के सामने "(अध्याय 71)" कोष्ठक, शब्द और अंक के पश्चात, "नकली आभूषण (7117) के सिवाय" शब्द, कोष्ठक और अंक डाले जाएंगे।

17. उक्त नियमावली के नियम 161 में, "आदेश" शब्द के स्थान पर, "सूचना या नोटिस" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, -

- (i) भाग क में, टिप्पण में, "आवेदन दाखिल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करेंगे।", शब्दों के स्थान पर, "आवेदक के स्थायी खाता संख्या से सहबद्ध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आयकर डेटाबेस से स्वतः भरे जाएंगे।" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जमा करने के निर्देश में, पैरा 2 का लोप किया जाएगा।

19. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 में, "योग्यता के आधार पर" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।";

20. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात्: -

" प्ररूप जीएसटी आरईजी -19 [नियम 22(3) देखें]	
संदर्भ संख्या	तारीख
सेवा में	
नाम	
पता	
जीएसटीआईएन/यूआईएन	
आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)	तारीख
रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश	
यह तारीख ----- जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में है	
कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है;	

और, इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

कारण बताओ नोटिस का [] उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है; और, कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की जांच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

कारण बताओ नोटिस का [] कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर, आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए;

और, इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

कारण बताओ नोटिस का [] कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और लिखित या मौखिक प्रस्तुति दी;

और, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किए गए आपके लिखित या मौखिक प्रस्तुतीकरण की जांच करने पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

कारण बताओ नोटिस का [] उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किन्तु, आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए;

और, कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की जांच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

कारण बताओ नोटिस का [] उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान एक लिखित/मौखिक प्रस्तुति दी;

और, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय की गयी प्रस्तुतियों की जांच की है और उनकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है:

i)

ii)

आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की प्रभावी तारीख <<दिन/मास /वर्ष>> है।

2. कृपया मामला विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी भरने वाले एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. आपको अपनी सभी लंबित विवरणी भरनी होंगी।
5. यह नोट किया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य देयों की देयता या रद्द करने की तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी दायित्व का निर्वहन करने की बाध्यता प्रभावित नहीं होगी चाहे ऐसे कर और अन्य देय रद्द करने की तारीख से पूर्व या पश्चात अवधारित किए जाएं।

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पद

अधिकारिता"।

21. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में, -

(क) बॉक्स में, -

- (i) "वर्ष" शब्द के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) "मास" शब्द के स्थान पर "कर अवधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"3.	(क)	एआरएन	<ऑटो>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<ऑटो>

- (ग) सारणी 4क में, "(i) पतिवर्ती प्रभार से संबंधी और (ii) ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम के" कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "पतिवर्ती प्रभार से संबंधी (ई-वाणिज्य प्रचालन से संबंधी टीसीएस के माध्यम से की गई पूर्ति सहित)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (घ) सारणी 4ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ङ) सारणी 5क में, "5अ. सार्वजनिक प्रदाय (ई-वाणिज्य दर-वार के माध्यम से की गई प्रदाय से भिन्न)" अंक, अक्षर, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "सार्वजनिक प्रदाय (ई-वाणिज्य दर-वार के माध्यम से की गई प्रदाय सहित)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (च) सारणी 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(छ) सारणी 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7क. अंतरराज्यिक प्रदाय					
समेकित दर-वार सार्वजनिक प्रदाय (टी सी एस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्ति सहित)					
7ख. अंतरराज्यिक प्रदाय, जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपए तक हो [दर-वार] समेकित दर-वार सार्वजनिक प्रदाय [टी सी एस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्ति सहित]					
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					

(ज) सारणी 9 में,--

- (i) “डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रतिदाय वारुचर” शब्दों के स्थान पर, “डेबिट और क्रेडिट नोट” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) “दस्तावेज का संशोधित ब्यौरे या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट या प्रतिदाय वारुचर के ब्यौरे” शब्दों के स्थान पर, “दस्तावेज का संशोधित ब्यौरा या मूल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का ब्यौरा” शब्द रखे जाएंगे;
 - (iii) उपशीर्षक के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में, “बीजक” शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (iv) उपशीर्षक के स्तंभ 5 और स्तंभ 6 में, “बीजक” शब्द के स्थान पर, “दस्तावेज” शब्द रखे जाएंगे;
- (झ) सारणी 9क में, “यदि बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरे गलत थे” शब्दों के स्थान पर, “बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरों का संशोधन” शब्द रखे जाएंगे;
- (ञ) सारणी 9ख में, “/प्रतिदाय वारुचर” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ट) सारणी 9ग में, “डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट /प्रतिदाय वारुचर [उनके संशोधन]” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट [संशोधित]” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (ठ) सारणी 10 में, “माह” शब्द के स्थान पर, “माह/तिमाही” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ड) सारणी 10क(1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ढ) सारणी 10ख(1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- (ग) सारणी 11 के शीर्षक में, “पूर्वतर कर अवधि” शब्दों के पश्चात्, “(शुद्ध प्रतिदाय वाऊचर, यदि कोई हो)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (त) सारणी 12 के उपशीर्षक के स्तंभ 3 में, “(वैकल्पिक, यदि एचएसएन प्रदान किया गया हो)” कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (थ) सारणी 13 के पश्चात् और सत्यापन से पूर्व, निम्नलिखित सारणियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“14. ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरे, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर, अधिनियम की धारा 52 या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है [रिपोर्ट करने के लिए आपूर्तिकर्ता]

प्रदाय की प्रकृति	ई-वाणिज्य आपरेटर का जी एस टी आई एन	पूर्तियों का कुल मूल्य	कर की रकम			
			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(क) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने का दायी है						
(ख) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है						

14क. ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर, अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने के दायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं

[illegible]

15क(1). ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य आपरेटर को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए]

[illegible]

15क(II). ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य आपरेटर को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए]

[illegible]

(द) अनुदेशों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“क. सामान्य अनुदेश

1. प्रयुक्त शब्द :

- क. जी एस टी आई एन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
 ख. यू आई एन : यूनीक पहचान संख्या
 ग. यू क्यू सी : यूनीक परिमाण कोड
 घ. एच एस एन : नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
 ङ. पी ओ एस : प्रदाय का स्थान (अपने अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
 च. टी सी एस : ई-वाणिज्य आपरेटर द्वारा स्रोत पर कर संग्रह
 छ. एस ई जेड : विशेष आर्थिक जोन
 ज. ई सी ओ : ई-वाणिज्य आपरेटर
 झ. डी टी ए : घरेलू टैरिफ क्षेत्र
 ञ बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति
 ट. बी से सी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति

2. तिमाही के पहले दो महीने (नों) के लिए जीएसटीआर-1 या आईएफएफ के माध्यम से बीजक ब्यौरों को फाइल करने वाले तिमाही करदाता, तिमाही के जीएसटीआर-1 को फाइल करते समय ऐसे ब्यौरों को नहीं दुहराएंगे।

ख. सारणी विनिर्दिष्ट अनुदेश

क्रम सं.	सारणी सं.	अनुदेश
1	2	3
1.	4क	i. ई-वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति सहित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति, धारा 52 के अधीन टी सी एस से संबंधित, लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर कर से संबंधित पूर्ति को छोड़कर, रिपोर्ट की जाएगी। ii. धारा 9(5) के अधीन पूर्ति, जिसके लिए ई-वाणिज्य आपरेटर कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है। iii. प्रवेश पत्र के समावेशित होने पर एस ई जेड द्वारा की गई पूर्ति एस ई जेड इकाई/विकासकर्ता द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी।
2.	4ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति, रिवर्स चार्ज के आधार पर संबंधित कर को रिपोर्ट किया जाएगा। धारा 9(5) के अधीन की गई पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
3.	5	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो 2.50 लाख रुपए से अधिक की बीजक रखते हों,

क्रम सं.	सारणी सं.	अनुदेश
1	2	3
		द्वारा की गई अंतरराज्यिक पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा।
4.	6क	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना निर्यात को रिपोर्ट किया जाएगा। पोत पत्र के ब्यौरे, यदि लागू हों, बाद में सारणी 9 के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, यदि ऐसा ब्यौरा, विवरण फाइल करते समय उपलब्ध नहीं है।
5.	6ख	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना, एस ई जेड इकाइयों या एस ई जेड विकासकर्ताओं को की गई पूर्ति रिपोर्ट की जाएगी।
6.	6ग	मानित निर्यात पूर्ति की रिपोर्ट की जाएगी।
7.	7	सारणी 5 में रिपोर्ट किए गए उन व्यक्तियों से अन्यथा अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा। मूल्य को जमा पक्ष और नामे नोट का योग होगा।
8.	8	ऐसी आपूर्तियां जिनकी कोई कर देनदारी नहीं है (शून्य रेटेड, छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी आपूर्तियां) सूचित की जाएंगी। धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई आपूर्ति को आपूर्तिकर्ता की छूट प्राप्त आपूर्ति के अधीन सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9.	9क	सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख और 6ग में बताए गए मूल्यों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
10.	9ख	अवधि के दौरान जारी किए गए क्रेडिट और डेबिट नोटों की सूचना दी जाएगी।
11.	9ग	सारणी 9ख में रिपोर्ट किए गए क्रेडिट और डेबिट नोट्स में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
12.	10	सारणी 7 में रिपोर्ट की गई अरजिस्ट्रीकृत आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
13.	11(I)क	प्राप्त अग्रिमों की सूचना दी जाएगी। मूल्य वापसी वाउचर, यदि कोई हो, का निवल होगा।
14.	11(I)ख	अवधि के दौरान समायोजित अग्रिमों की सूचना दी जाएगी।
15.	11(II)	प्राप्त या समायोजित अग्रिमों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
16.	12	सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एचएसएन विवरण की सूचना दी जाएगी।
17.	13	अवधि के दौरान जारी किए गए दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
18.	14 (क)	ई- वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्ररूप 4 से 10 तक किसी सारणी में रिपोर्ट की गई आपूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।
19.	14(ख)	ईसीओ के माध्यम से की गई आपूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 9(5)

क्रम सं.	सारणी सं.	अनुदेश
1	2	3
		के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसी आपूर्तियों पर कर का भुगतान ईसीओ द्वारा किया जाएगा न कि आपूर्तिकर्ता द्वारा।
20.	14क(अ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(क) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
21.	14क(आ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(ख) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
22.	15	(i) ईसीओ उसके माध्यम से की गई आपूर्ति के विवरण की रिपोर्ट करेगा, जिस पर वह धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
		(ii) आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का जीएसटीआआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत है, तो सूचित किया जाएगा।
		(iii) यदि प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत है, तो ईसीओ द्वारा जारी दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
23.	15क(I)	रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्व की कर अवधि में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
24.	15क(II)	अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्ववर्ती कर अवधियों में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।"।

22. उक्त नियमावली में, प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-01 में उपाबंध 1 में विवरण-7 के पश्चात, निम्नलिखित विवरण सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"विवरण-8 [नियम 89(2)(टक)]

वापसी का प्रकार: अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए धनवापसी

क्र. सं.	जी एस आपूर्तिकर्ता का टिन	दस्तावेज/चालान विवरण				कर का भुगतान				आपूर्तिकर्ता को चालान मूल्य के भुगतान का विवरण		रद्दीकरण/समाप्ति के विरुद्ध प्राप्त भुगतान का विवरण		दावा की गई वापसी की राशि (आई + सी + एस + उपकर)
		दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर (आई)	केंद्रीय कर (सी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (एस)	उपकर	तारीख	राशि	तारीख	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														"1

23. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में, शीर्षक में, "नियम 108(3)" शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात, "और 109 (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

24. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03 डब्ल्यू

[नियम 109ग देखें]

अपील आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन:
2. व्यवसाय का नाम (विधिक) (यदि धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है)
3. अपीलकर्ता का नाम और पदनाम (यदि धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन अपील फाईल की जाती है):
4. आदेश संख्या एवं तारीख :
5. अपील का एआरएन और तारीख :
6. निकासी के कारण:
 - i. निर्णायक प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति।
 - ii. समान विषय वस्तु पर उच्च अपीलीय प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति
 - iii. फाईल अपील में गलतियों/चूक के सुधार के पश्चात फिर से अपील फाईल करने की आवश्यकता है
 - iv. अपील में सम्मिलित राशि बोर्ड/आयुक्त द्वारा अपील के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है
 - v. कोई अन्य कारण
7. घोषणा (धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाईल होने की स्थिति में लागू):

मैं/हम <करदाता का नाम> इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहां दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक/आवेदक अधिकारी का नाम
पदनाम/स्थिति।"

25. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख

[नियम 88ग देखें]

भाग-ए (प्रणाली जनित)

बाहरी आपूर्ति के विवरण में रिपोर्ट की गई देनदारी और बदले में रिपोर्ट की गई देनदारी में अंतर की सूचना

संदर्भ संख्या:

तारीख :

जीएसटीआईएन:

विधिक नाम:

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा देय कर प्ररूप जीएसटीआर -1 में या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, आपके द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि की अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी <से> <से> तक रुपये की राशि से अधिक है। का विवरण इस प्रकार है

प्रपत्र का प्रकार	देयता घोषित/भुगतान (रुपये में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी	उपकर	कुल
प्ररूप जीएसटीआर-1/					
प्ररूप जीएसटीआर-3बी					
दायित्व में अंतर					

2. नियम 88गके उप-नियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर कर देयता का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख भाग-ख में उसका विवरण प्रस्तुत करें का, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01बी के भाग-बी में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।

3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां कोई राशि सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।

4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

देयता में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर

सूचना की संदर्भ संख्या:

तारीख :

क. मैंने प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया है, और उसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 का एआरएन	शीर्ष के अधीन भुगतान	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	उपकर

और/या

ख. अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारण जो भुगतान नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	अंतर के लिए संक्षिप्त कारण	विवरण (आज्ञापक)
1	प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में पूर्व कर अवधि में भुगतान की गई अतिरिक्त देयता	
2	पूर्व कर अवधि के कुछ लेनदेन जिन्हें उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -1/आईएफएफ में घोषित नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिनके संबंध में कर का भुगतान पहले ही उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में किया जा चुका है और जिन्हें अब विचाराधीन कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ में घोषित किया गया है।	
3	प्ररूप जीएसटीआर -1 / आईएफएफ गलत विवरण के साथ फाईल किया गया है और अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (टाइपिंग त्रुटियों, गलत कर दरों आदि सहित)	
4	प्राप्त अग्रिमों की रिपोर्टिंग में त्रुटि और चालान के विरुद्ध समायोजित	
5	कोई अन्य कारण	

सत्यापन

मैं _____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम/प्रास्थिति:

स्थान :

तारीख: "।

26. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वेच्छा से किए गए भुगतान की सूचना या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) या विवरण

[या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से निर्धारित कर की सूचना

1.	जीएसटीआईएन	
2.	नाम	< ऑटो >
3.	भुगतान का कारण	<< ड्रॉप डाउन >>
3क	गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के लदान बिल के ब्यौरे (केवल विनिर्दिष्ट प्रवर्ग नीचे करें मेन्यू में चुने जाने के लिए सक्षम हैं)।	(i) लदान बिल/निर्यात बिल की सं. और तारीख: (ii) माल के निर्यात पर संदत्त आईजीएसटी की रकम : (iii) रियायती दर या छूट पर निवेश की उपाप्ति के लिए उपयोग की गई अधिसूचना सं. : (iv) अधिसूचना की तारीख : (v) प्राप्त किए गए प्रतिदाय की रकम : (vi) निक्षेपित किए जाने वाले गलत प्रतिदाय की रकम : (vii) बैंक खाते में प्रतिदाय के प्रत्यय की तारीख :
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है।	<< ड्रॉप डाउन >>
5.	कारण बताओ सूचना के ब्यौरे, यदि संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क	संदर्भ सं./एआरएन जारी करने/फाई

के माध्यम से अभिनिश्चित कर के निर्गम,सूचना,संपरीक्षा, निरीक्षण, अन्वेषण, जीएसटी आरएफडी-01 के 30 दिन के भीतर किया जाता है, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											ल करने की तारीख	
6. वित्तीय वर्ष												
7. ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो (रुपये में रकम)												
क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि प्रयोज्य	फीस	अन्य	योग	उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. कारण, यदि कोई हो - << टेक्स्ट बॉक्स >>

9. सत्यापन -

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

टिप्पण -

- नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में प्राप्त एकीकृत माल और सेवा कर के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए और अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए, संदाय केवल नगद में ही किया जाना है।
- प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के एआरएन को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए यदि संदाय का कारण चयनित किया गया है - "अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत प्रतिदाय का निक्षेप"।

3. लदान बिल के ब्यौरे उसी पैटर्न में प्रविष्ट किए जाने चाहिए जिसमें प्रतिदाय के ब्यौरे प्रविष्ट किए गए हैं। ” ।

27. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी डी आर सी-25 में,-

- (i) “पुनरीक्षण अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी” शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) “अपील या पुनरीक्षण के निपटान के पहले” शब्दों के स्थान पर “अपील या पुनरीक्षण या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के निपटान के पहले” शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) “अपील पुनरीक्षण” शब्दों के पश्चात् “या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों को” शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-15) 575)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 फरवरी, 2023

एस० ओ० 107, दिनांक 14 फरवरी, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-15) 575)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th February, 2023

S.O. 107, Date 14th February, 2023--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of December, 2022.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8,-

- (i) in sub-rule (1), the words and letters, “mobile number, e-mail address,” shall be omitted;
- (ii) in sub-rule (2), in clause (a), after the words “Direct Taxes”, the words “and shall also be verified through separate one-time passwords sent to the mobile number and e-mail address linked to the Permanent Account Number” shall be inserted;
- (iii) in sub-rule (2), clauses (b) and (c) shall be omitted;

- (iv) for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(4A) Every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule.”;
- (v) after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(4B) The Central Government may, on the recommendations of the Council, by notification specify the States or Union territories wherein the provisions of sub-rule (4A) shall not apply.”;
- (vi) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “sub-rule (4)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (4A)”, shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 9, -

- (i) in sub-rule (1), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -
“(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or”;
- (ii) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -
“(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or”.

4. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (3), after the word, “Where,”, the words, brackets and figure, “on a request made in writing by a person to whom a registration has been granted under sub-rule (2) or”, shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 37, in sub-rule (1), with effect from 1st day of October, 2022, -

- (i) after the words, “value of such supply”, the words, “, whether wholly or partly,” shall be inserted;
- (ii) after the words, “shall pay”, the words, “or reverse” shall be inserted;
- (iii) after the words, “in respect of such supply”, the letters and words, “, proportionate to the amount not paid to the supplier,” shall be inserted.

6. In the said rules, after rule 37, the following rule shall be inserted, namely: -

“37A. Reversal of input tax credit in the case of non-payment of tax by the supplier and re-availment thereof.- Where input tax credit has been availed by a registered person in the return in FORM GSTR-3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the

statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, but the return in FORM GSTR-3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies has not been furnished by such supplier till the 30th day of September following the end of financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed, the said amount of input tax credit shall be reversed by the said registered person, while furnishing a return in FORM GSTR-3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year:

Provided that where the said amount of input tax credit is not reversed by the registered person in a return in FORM GSTR-3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year during which such input tax credit has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50.

Provided further that where the said supplier subsequently furnishes the return in FORM GSTR-3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in FORM GSTR-3B for a tax period thereafter.”.

7. In the said rules, in rule 46, in clause (f), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where any taxable service is supplied by or through an electronic commerce operator or by a supplier of online information and database access or retrieval services to a recipient who is un-registered, irrespective of the value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the State and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient.”.

8. In the said rules, in rule 46A, the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the said single “invoice-cum-bill of supply” shall contain the particulars as specified under rule 46 or rule 54, as the case may be, and rule 49.”;

9. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) a registered person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88C in respect of a tax period, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88C.”.

10. In the said rules, in rule 87, in sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where the bank fails to communicate details of Challan Identification Number to the Common Portal, the Electronic Cash Ledger may be updated on the basis of e-Scroll of the Reserve Bank of India in cases where the details of the said e-Scroll are in conformity with the details in challan generated in FORM GST PMT-06 on the Common Portal.”.

11. In the said rules, after rule 88B, the following rule shall be inserted, namely:-

“88C. Manner of dealing with difference in liability reported in statement of outward supplies and that reported in return.-

- (1) Where the tax payable by a registered person, in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in FORM GSTR-1 or using the Invoice Furnishing Facility in respect of a tax period, exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in FORM GSTR-3B, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01B, electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference and directing him to—
 - (a) pay the differential tax liability, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03; or
 - (b) explain the aforesaid difference in tax payable on the common portal, within a period of seven days.
- (2) The registered person referred to sub-rule (1) shall, upon receipt of the intimation referred to in that sub-rule, either,-
 - (a) pay the amount of the differential tax liability, as specified in Part A of FORM GST DRC-01B, fully or partially, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01B electronically on the common portal; or
 - (b) furnish a reply electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid, if any, in Part B of FORM GST DRC-01B, within the period specified in the said sub-rule.
- (3) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains unpaid within the period specified in that sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provisions of section 79.”.

12. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (2),-

- (i) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(ka) a statement containing the details of invoices viz. number, date, value, tax paid and details of payment, in respect of which refund is being claimed along with copy of such invoices, proof of making such payment to the supplier, the copy of agreement or registered agreement or contract, as applicable, entered with the supplier for supply of service, the letter issued by the supplier for cancellation or termination of agreement or contract for supply of service, details of payment received from the supplier against cancellation or termination of such agreement along with proof thereof, in a case where the refund is claimed by an unregistered

person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated;

(kb) a certificate issued by the supplier to the effect that he has paid tax in respect of the invoices on which refund is being claimed by the applicant; that he has not adjusted the tax amount involved in these invoices against his tax liability by issuing credit note; and also, that he has not claimed and will not claim refund of the amount of tax involved in respect of these invoices, in a case where the refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated;”;

(ii) in clause (m), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that a certificate is not required to be furnished in cases where refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of tax.”.

13. In the said rules, in rule 108, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(3) Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

Provided that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-01 and a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-01, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of appeal.”.

14. In the said rules, for rule 109, the following rule shall be substituted, namely: -

“109. Application to the Appellate Authority.- (1) An application to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 107 shall be filed in FORM GST APL-03, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner and a provisional acknowledgment shall be issued to the appellant immediately.

(2) Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal under sub-rule (1):

Provided that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-03 and a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be

issued in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-03, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of appeal.”.

15. In the said rules, after rule 109B, the following rule shall be inserted, namely:-

“109C. Withdrawal of Appeal. - The appellant may, at any time before issuance of show cause notice under sub-section (11) of section 107 or before issuance of the order under the said sub-section, whichever is earlier, in respect of any appeal filed in FORM GST APL-01 or FORM GST APL-03, file an application for withdrawal of the said appeal by filing an application in FORM GST APL-01/03W:

Provided that where the final acknowledgment in FORM GST APL-02 has been issued, the withdrawal of the said appeal would be subject to the approval of the appellate authority and such application for withdrawal of the appeal shall be decided by the appellate authority within seven days of filing of such application:

Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified in sub-section (1) or sub-section (2) of section 107, as the case may be.”;

16. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (14), in the Annexure, in column (2) of the table, against S.No. 5, after the brackets, word and figures “(Chapter 71)”, the words, brackets and figures “excepting Imitation Jewellery (7117)” shall be inserted.

17. In the said rules, in rule 161, for the word, “order”, the words, “intimation or notice” shall be substituted.

18. In the said rules, in FORM GST REG-01, -

(i) in PART A, in the note, for the words, “Authorised signatory filing the application shall provide his mobile number and email address”, the words, “E-mail Id and Mobile Number shall be auto-populated from Income Tax database as linked with the Permanent Account Number of the applicant” shall be substituted;

(ii) in the instructions for submission of Application for Registration, paragraph 2 shall be omitted.

19. In the said rules, in FORM GST REG-17, after the words “on merits”, the following shall be inserted, namely: -

“☐ Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.”.

20. In the said rules, for FORM GST REG-19, the following form shall be substituted, namely: -

“FORMGSTREG-19 <i>[Seerule22(3)]</i>	
Reference Number	Date
To	
Name	
Address	
GSTIN/UID	
Application Reference Number(ARN)	Date
Orderfor Cancellation of Registration	
This has reference to show cause notice issued dated -----	
Whereas no reply to the show cause notice has been submitted;	
and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s): or	
Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide <ARN Number> dated_____;	
and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s): or	
Whereas no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through an authorised representative;	
and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s): or	
Whereas no reply to the show cause notice has been submitted, but you/ your authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission;	
and whereas, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s): or	
Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide <ARN Number> dated_____. But, you or your authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date;	
and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s): or	
Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide <ARN Number> dated_____ and you/ your authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing;	

and whereas, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s):

- i.
- ii.

The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

3. It may be noted that a registered person furnishing return under sub-section (1) of section 39 of the BGST Act, 2017 is required to furnish a final return in FORM GSTR-10 within three months of the date of this order.

4. You are required to furnish all your pending returns.

5. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place:

Date:

Signature
<Name of the officer>
Designation
Jurisdiction".

21. In the said rules, in FORM GSTR-1, -

(a) in the box,-

- (i) for the word, "Year", the words, "Financial Year" shall be substituted;
- (ii) for the word, "Month", the words, "Tax period" shall be substituted;

(b) for Table 3, the following table shall be substituted, namely:-

"3.	(a)	ARN	<Auto>
	(b)	Date of ARN	<Auto>"

(c) in Table 4A, for the brackets, letters and words, "(i) attracting reverse charge and (ii) supplies made through e-commerce operator", the words, brackets and letters, "attracting reverse charge (including supplies made through e-commerce operator attracting TCS)" shall be substituted;

(d) Table 4C and entries relating thereto shall be omitted;

(e) In Table 5A, for the figure, letters, words and brackets, "5A. Outward supplies (other than supplies made through e-commerce operator, rate wise)", the words, brackets, letters, "Outward supplies (including supplies made through e-commerce operator, rate wise)" shall be substituted;

(f) Table 5B and entries relating there to shall be omitted;

(g) for the Table 7, the following table shall be substituted, namely:-

Rate of tax	Total Taxable value	Amount			
		Integrated	Central	State Tax/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
7A. Intra-State supplies					
Consolidated rate wise outward supplies [including supplies made through e-commerce operator attracting TCS]					
7B. Inter-State Supplies where invoice value is upto Rs 2.5 Lakh [Rate wise]– Consolidated rate wise outward supplies [including supplies made through e-commerce operator attracting TCS]					
Place of Supply (Name of State)					

(h) in Table 9, -

- (i) in the heading, for the words and letters “debit notes, credit notes, refund vouchers”, the words, “debit and credit notes” shall be substituted;
- (ii) for the words and letter, “Revised details of document or details of original Debit or Credit Notes or refund vouchers”, the words and letter, “Revised details of document or details of original Debit or Credit Notes” shall be substituted;
- (iii) in the sub-heading, in column no. 2 and 3, the word, “Inv.” shall be omitted;
- (iv) in the sub-heading, in column no. 5 and 6, for the word, “Invoice”, the word “Document” shall be substituted;
- (i) in Table 9A, for the words, “If the invoice/Shipping bill details furnished earlier were incorrect”, the words, “Amendment of invoice/Shipping bill details furnished earlier” shall be substituted;
- (j) in Table 9B, the words, “/Refund voucher” shall be omitted;
- (k) In Table 9C, for the words and brackets, “Debit Notes/Credit Notes/Refund voucher [amendments thereof]”, the words and brackets, “Debit Notes/Credit Notes [Amended]” shall be substituted;
- (l) in Table 10, for the word, “Month”, the words, “Month/Quarter” shall be substituted;
- (m) Table 10A (1) and entries relating thereto shall be omitted;
- (n) Table 10B (1) and entries relating thereto shall be omitted;
- (o) in Table 11, in the heading, after the words, “earlier tax period”, the brackets and words, “(Net of refund vouchers, if any)” shall be inserted;
- (p) in Table 12, in the sub-heading, in column no. 3, the brackets and words, “(Optional if HSN is provided)” shall be omitted;
- (q) After Table 13 and before Verification, the following tables shall be inserted, namely:-

“14. Details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the Act or liable to pay tax u/s 9(5) [Supplier to report]

Nature of supply	GSTIN of e-commerce operator	Net value of supplies	Tax amount			
			Integrated tax	Central tax	State / UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
(a) Supplies on which e-commerce operator is liable to collect tax u/s 52						
(b) Supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5)						

14A. Amendment to details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the Act or liable to pay tax u/s 9(5) [Supplier to report]

Nature of supply	Original details		Revised details	Net value of supplies	Tax amount			
	Month / Quarter	GSTIN of e-commerce operator	GSTIN of e-commerce operator		Integrated tax	Central tax	State / UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(a) Supplies on which e-commerce operator is liable to collect tax u/s 52								
(b) Supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5)								

[illegible][illegible][illegible]

(r) For the instructions, the following shall be substituted, namely:-

“A. General Instructions

1. Terms used:

- a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- b. UIN: Unique Identity Number
- c. UQC: Unit Quantity Code
- d. HSN: Harmonized System of Nomenclature
- e. POS: Place of Supply (Respective State)
- f. TCS: Tax collection at source by e-commerce operator
- g. SEZ: Special Economic Zone
- h. ECO: E-commerce operator
- i. DTA: Domestic Tariff Area
- j. B to B: Supplies from one registered person to another registered person
- k. B to C: Supplies from registered person to unregistered person

2. Quarterly taxpayers filing invoice details through GSTR-1 or IFF for the first two month(s) of the quarter shall not repeat such details while filing GSTR-1 of the quarter.

B. Table specific instructions-

Sr. No.	Table No.	Instructions
1	2	3
1.	4A	i. Supplies made to registered persons including supplies made through e-commerce operator attracting TCS u/s 52, but excluding supplies attracting tax on reverse charge basis, shall be reported. ii. Supplies made u/s 9(5) for which e-commerce operator is liable to pay tax shall not be reported in this table. iii. The supplies made by SEZ on cover of a bill of entry shall not be reported by SEZ unit /developer.
2.	4B	Supplies made to registered persons, attracting tax on reverse charge basis, shall be reported. Supplies made u/s 9(5) for which e-commerce operator is liable to pay tax shall not be reported in this table.
3.	5	Inter-State supplies made to unregistered persons having invoice value more than Rs. 2.50 lakh shall be reported.
4.	6A	Exports with or without IGST shall be reported. Shipping bill details, if applicable, can be provided later through table 9 if such details are not available at the time of filing the statement.
5.	6B	Supplies made to SEZ units or SEZ developers, with or without IGST, shall be reported.
6.	6C	Deemed export supplies shall be reported.
7.	7	Supplies made to unregistered persons other than those reported in table 5 shall be reported. Values shall be net of credit and debit notes.
8.	8	Supplies having no tax liability (Nil rated, exempted and non-GST supplies) shall be reported. Supplies made through E-commerce Operator under section 9(5) shall not be included under exempted supplies of supplier.

Sr. No.	Table No.	Instructions
1	2	3
9.	9A	Amendment of values reported in table 4A, 4B, 5, 6A, 6B and 6C shall be reported.
10.	9B	Credit and debit notes issued during the period shall be reported.
11.	9C	Amendment of credit and debit notes reported in table 9B shall be reported.
12.	10	Amendment of unregistered supplies reported in table 7 shall be reported.
13.	11(I)A	Advances received shall be reported. The values shall be net of refund vouchers, if any.
14.	11(I)B	Advances adjusted during the period shall be reported.
15.	11(II)	Amendment to advances received or adjusted shall be reported.
16.	12	HSN details as per notifications issued by Government from time to time shall be reported.
17.	13	Details of the documents issued during the period shall be reported.
18.	14(a)	Details of the supplies reported in any table from 4 to 10, made through e-commerce operator on which ECO is liable to collect tax at source (TCS) under section 52, shall be reported by the supplier.
19.	14(b)	Details of supplies made through ECO, on which ECO is liable to pay tax u/s 9(5), shall be reported by the supplier. Tax on such supplies shall be paid by the ECO and not by the supplier.
20.	14A(a)	Amendment to supplies reported in table 14(a) in earlier tax period shall be reported.
21.	14A(b)	Amendment to supplies reported in table 14(b) in earlier tax period shall be reported.
22.	15	(i) ECO shall report details of the supplies made through him/her on which he/she is liable to pay tax u/s 9(5). (ii) GSTIN of supplier and recipient, if registered, shall be reported. (iii) Details of the documents issued by ECO shall be reported, if recipient is registered.
23.	15A(I)	Amendment to the details reported in table 15 in earlier tax periods in respect of registered recipients shall be reported.
24.	15A(II)	Amendment to the details reported in table 15 in earlier tax periods in respect of unregistered recipients shall be reported.”.

22. In the said rules, in FORM GST RFD-01, in Annexure 1, after Statement-7, the following statement shall be inserted, namely: -

“Statement-8 [rule 89(2)(ka)]

Refund Type: Refund for unregistered persons

Sl. No.	GSTIN of supplier	Document/Invoice Details				Tax Paid				Details of payment of invoice value to the supplier		Details of payment received against cancellation/ termination		Refund Amount Claimed (I+C+S+ Cess)
		Type of document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax(I)	Central Tax(C)	State/ UT Tax(S)	Cess	Date	Amount	Date	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														”.

23. In the said rules, in FORM GST APL-02, in the heading, after the word, figures and brackets “rule 108(3)”, the word, figures and brackets “and 109 (2)”, shall be inserted.

24. In the said rules, after FORM GST APL-03, the following form shall be inserted, namely: -

“FORM GST APL-01/03 W

[See rule 109C]

Application for Withdrawal of Appeal Application

1. GSTIN:
2. Name of Business (Legal) (in case appeal is filed under sub-section (1) of section 107)
3. Name and designation of the appellant (in case appeal is filed under sub-section (2) of section 107):
4. Order No.& Date:
5. ARN of the Appeal & Date:
6. Reasons for Withdrawal:
 - i. Acceptance of order of the adjudicating authority.
 - ii. Acceptance of order of a Higher Appellate Authority/ Court on similar subject matter
 - iii. Need to file appeal again after rectification of mistakes/omission in the filed appeal
 - iv. Amount involved in appeal is less than the monetary limit fixed for Appeal by the Board/Commissioner
 - v. Any other reason

7. Declaration (applicable in case appeal is filed under sub-section (1) of section 107):

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein is true and correct to the best of my/ our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Signature

Date:

Name of Applicant /Applicant

Officer

Designation/ Status.”.

25. In the said rules, after FORM GST DRC-01A, the following form shall be inserted, namely: -

“FORM GST DRC-01B

[See rule 88C]

PART-A (System Generated)

Intimation of difference in liability reported in statement of outward supplies and that reported in return

Ref No:

Date:

GSTIN:

Legal Name:

1. It is noticed that the tax payable by you, in accordance with the statement of outward supplies furnished by you in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, exceeds the amount of tax paid by you in accordance with the return furnished in FORM GSTR-3B for the period<from><to> by an amount of Rs. The details thereof are as follows:

Form Type	Liability declared/ paid (in Rs.)				
	IGST	CGST	SGST/UTGST	Cess	Total
FORM GSTR-1 / IFF					
FORM GSTR-3B					
Difference in liability					

2. In accordance with sub-rule (1) of rule 88C, you are hereby requested to either pay the said differential tax liability, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part-B of FORM GST DRC-01B, and/or furnish the reply in Part-B of FORM GST DRC-01B incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid, within a period of seven days.

3. It may be noted that where any amount remains unpaid within a period of seven days and where no explanation or reason is furnished by you or where the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provisions of section 79 of the Act.

4. This is a system generated notice and does not require signature.

PART-B

Reply by Taxpayer in respect of the intimation of difference in liability

Reference No. of Intimation:

Date:

A. I have paid the amount of the differential tax liability, as specified in **Part A** of **FORM GST DRC-01B**, fully or partially, along with interest under section 50, through **FORM GST DRC-03**, and the details thereof are as below:

ARN of FORM GST DRC-03	Paid Under Head	Tax Period	IGST	CGST	SGST/UTGST	CESS

AND/OR

B. The reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid, are as under:

S. No	Brief Reasons for Difference	Details (Mandatory)
1	Excess Liability paid in earlier tax periods in FORM GSTR-3B	
2	Some transactions of earlier tax period which could not be declared in the FORM GSTR-1/IFF of the said tax period but in respect of which tax has already been paid in FORM GSTR-3B of the said tax period and which have now been declared in FORM GSTR-1/IFF of the tax period under consideration	
3	FORM GSTR-1/IFF filed with incorrect details and will be amended in next tax period (including typographical errors, wrong tax rates, etc.)	
4	Mistake in reporting of advances received and adjusted against invoices	
5	Any other reasons	

Verification

I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name:

Designation/Status:

Place:

Date:”.

“FORM GST DRC- 03

Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement [or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A

[illegible]

8. Reasons, if any - << Text box>>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation /

Status

Date

Note -

1. Payment to be made only in cash for deposit of erroneous refund of unutilised Input Tax Credit (ITC) and for deposit of erroneous refund of Integrated Goods and Services Tax (IGST), obtained in contravention of sub-rule (10) of rule 96.
2. ARN of FORM GST RFD-01 to be mentioned mandatorily if cause of payment is selected as – ‘deposit of erroneous refund of unutilised ITC’.
3. Details of shipping bills to be entered in the same pattern in which the details have been entered in the returns.”.

27. In the said rules, in FORM GST DRC-25, –

- (i) after the words, “Revisional authority”, the words and letter, “Adjudicating authority or Appellate authority under Insolvency & Bankruptcy Code/” shall be inserted;
- (ii) for the words, “before disposal of appeal or revision”, the words, “before disposal of appeal or revision or any other proceedings” shall be substituted;
- (iii) after the words, “giving effect of appeal/ revision”, the letters and words, “or any other proceedings” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-15) 575)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

Bihar, Patna.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 136-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>